01-04-19

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी वकील श्री ओम प्रकाश बिश्नोई ने पेश किया जिस पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये।

वकील अपीलांट को पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना-पत्र पर एकतरफा सुना गया। वकील ~~अपीलांट~~ प्रार्थी ने बहस करते हुए बताया कि न्यायालय हाजा का फैसला दिनांक 20-11-2008 विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इसमें उठाये गए एतराजात पर निर्णय नहीं किया गया है। वकील प्रार्थीगण का मूल तर्क है कि प्रारंभिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने अपनी उपस्थिति में मौके पर तैयार नहीं करवाया इसलिए इसमें नियम 18 की पालना नहीं हुई और पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्र के अधीन वाले न्यायालय हाजा के निर्णय में भी इस पर कोई विचार नहीं किया लिहाजा रिव्यू स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा का आक्षेपित निर्णय भी देखा। इस निर्णय के लगभग 10 वर्ष 3 माह की सुदीर्घ अवधि के अवसान के पश्चात् रिव्यू प्रार्थना-पत्र पेश हुआ है। जबकि इतने अत्यधिक विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण नहीं है, इस निर्णय की प्रार्थीगण को उनकी न्यायालय में उपस्थिति में निर्णय दिया होने से उन्हें इसकी भलीभांति जानकारी थी। प्रथम, तो यह रिव्यू आवेदन मियाद बाहर होने के कारण भी विचारणा योग्य नहीं ठहरता।

द्वितीय, पत्रावली के अवलोकन से साबित हो जाता है कि आक्षेपित विभाजन प्रस्ताव तीनों पक्षों ने अपनी सहमति से तैयार करवाकर स्वीकार करने के बाद इस पर अपने हस्ताक्षर / अंगूठा निशान किये, जिसका पूर्ण विवेचन अपीलाधीन निर्णय में किया हुआ है इसलिए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत इस सहमतिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के संबंध में मौके पर जाकर नियमों की पालना करने का तो कोई औचित्य

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हुक्म में

और महत्व ही नहीं है, लिहाजा अधी० न्यायालय ने स्वीकार किया।

न्यायालय हाजा में भी प्रथम अपील अनावश्यक 8 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत की थी और उसमें जो विलम्ब के कारण बताये गए थे उसे न्यायालय हाजा ने निराधार करार दिया, फिर भी हस्तगत प्रार्थना-पत्र के अधीन वाले निर्णय को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया गया है। निर्णय में यह भी विवेचित किया कि अपीलांट के पिता ने अपने जीवन काल में इस मंजूर किये गए आवंटन बाबत कोई आपत्ति नहीं की। विधि की दृष्टि में पक्षकारों के मध्य सहमति / स्वीकृति से हुए निर्णय की अपील अनुज्ञात नहीं है। इस लिहाज से भी अपील नहीं हो सकती थी फिर भी न्यायालय ने इस अपील का निर्णय गुण-दोषों के आधार पर करते हुए उद्धृत किया कि "जो आवंटन विवादग्रस्त भूमि का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया वह उन्हें मंजूर था जिस पर उनके वारिसों को उसकी मृत्यु के 8 वर्ष पश्चात् अब एतराज करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।"

हस्तगत प्रार्थना-पत्र के अधीन वाले निर्णय दिनांक 20-11-2008 को रिव्यू करने के लिए विधि में निर्दिष्ट ~~प्रथम~~ आधारों - (i) नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चले, (ii) किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख पर प्रत्यक्षतः प्रकट हो (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण से, पर परखा गया तो इसको रिव्यू करने के लिए कोई कारण नहीं पाया, औचित्य नहीं पाया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यू आवेदन विलम्ब से एवं तथ्यों से परे होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली मिसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner